

न्यूज़ टुडे

ईरान-इजरायल संघर्ष तीव्र हुआ

ईरान ने इजरायल के 'ऑपरेशन राइजिंग लायन' के जवाब में 'ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3' शुरू किया है। ज्ञातव्य है कि 'ऑपरेशन राइजिंग लायन' के तहत इजरायल ने ईरान के मुख्य सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे।

ईरान-इजरायल संघर्ष के लिए जिम्मेदार मुख्य कारक

- ऐतिहासिक कारक: 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति हुई थी। इसके बाद ईरान इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। क्रांति के बाद ईरान ने इजरायल के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया था।
 - ⊕ उल्लेखनीय है कि 1979 से पहले दोनों मित्त (सहयोगी) देश थे।
- ईरान का परमाणु कार्यक्रम: इजरायल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के अनुसार, ईरान ने 60% तक यूरेनियम संवर्धन किया है, जो परमाणु अप्रसार संधि (NPT) का उल्लंघन है।
 - ⊕ इसके अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पश्चिम के कई ताकतवर देश ईरान के साथ परमाणु समझौते को अंतिम रूप देने में असमर्थ रहे हैं।
- ईरान द्वारा प्रॉक्सी वॉर का समर्थन: ईरान ने लेबनान में 'हिज्बुल्लाह' और गाजा में 'हमास' जैसे संगठनों को सैन्य एवं वित्तीय सहायता प्रदान की है।



ईरान-इजरायल संघर्ष के प्रभाव

- क्षेत्रीय अस्थिरता (व्यापक प्रभाव): उदाहरण के लिए- इसके चलते लेबनान और गाजा भी युद्ध की चपेट में आ सकते हैं।
- वैश्विक व्यापार में बाधा: होर्मुज जलडमरूमध्य और लाल सागर में जहाजों का आवागमन प्रभावित हो सकता है।
- ऊर्जा सुरक्षा: जैसे- भारत कच्चे तेल की अपनी अधिकांश आवश्यकता को होर्मुज जलडमरूमध्य के मार्ग से आयात करता है।
- कनेक्टिविटी:
 - ⊕ माल वाहक समुद्री जहाजों और हवाई जहाजों को लंबा रास्ता तय करना होगा।
 - ⊕ भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) जैसी परियोजनाएं प्रभावित हो सकती हैं।
- भारत के लिए: चाबहार पोर्ट का संचालन रुक सकता है या धीमा हो सकता है; इजरायल और ईरान के बीच राजनयिक संबंधों को संतुलित करना कठिन हो सकता है; आदि।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फ्लिपकार्ट को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) का लाइसेंस प्रदान किया

वर्तमान में अधिकतर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बैंकों और NBFCs के साथ गठजोड़ करके ऋण प्रदान करते हैं।

- अब, फ्लिपकार्ट अपने प्लेटफॉर्म पर और अपने फिनटेक ऐप 'सुपर.मनी (super.money)' के माध्यम से ग्राहकों एवं विक्रेताओं को सीधे ऋण प्रदान कर सकेगा।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के बारे में

- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत कंपनी होती हैं।
- मुख्य व्यवसाय: ऋण और अग्रिम प्रदान करना; सरकारी या स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए शेयर्स/ स्टॉक्स/ बॉण्ड्स/ डिबेंचर्स/ प्रतिभूतियों को खरीदना; बाजार खरीद-बिक्री योग्य ऐसे ही अन्य प्रतिभूतियों को खरीदना या बेचना; लीजिंग व हायर-परचेज जैसी सेवाएं प्रदान करना; आदि।
 - ⊕ इसमें कृषि गतिविधि, औद्योगिक गतिविधि, किसी भी सामान की खरीद या बिक्री (प्रतिभूतियों के अलावा) या कोई भी सेवा प्रदान करना तथा अचल संपत्ति की बिक्री/ खरीद/ निर्माण शामिल नहीं है।
- NBFCs के काम-काज और संचालन को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत RBI द्वारा विनियमित किया जाता है।
- NBFCs का महत्व:
 - ⊕ 2023 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में NBFCs का योगदान 12.60% था।
 - ⊕ 2023 में टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं (जैसे- टीवी, फ्रिज, एसी, फर्नीचर आदि) के लिए ऋण देने वाले बाजार में NBFCs की हिस्सेदारी लगभग 61% रही।
 - ⊕ बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में NBFCs ने ऋण वितरण में वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में कहीं तेजी से वृद्धि की है।



बैंकों और NBFCs के बीच क्या अंतर है?

- NBFCs मांग जमा (Demand deposits) स्वीकार नहीं कर सकती हैं।
- NBFCs भुगतान एवं निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं होती हैं और वे स्वयं पर आहरित चेक जारी नहीं कर सकती हैं।
- जमा स्वीकार करने वाली NBFCs में पैसा जमा करने वालों को डिपॉजिट इश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) की बीमा सुविधा नहीं मिलती।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन (निवारक निरोध) जमानत रद्द करने का विकल्प नहीं हो सकता है

सुप्रीम कोर्ट ने धन्या एम. बनाम केरल राज्य एवं अन्य मामले में 'केरल असामाजिक गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 2007' के तहत एक व्यक्ति के प्रिवेंटिव डिटेंशन को रद्द कर दिया।

- सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय में एस.के. नाज़नीन बनाम तेलंगाना राज्य (2023) और नेनवाथ बुज्जी बनाम तेलंगाना राज्य (2024) मामले का हवाला देते हुए 'लोक व्यवस्था' (Public order) और 'कानून-व्यवस्था' (Law and order) के बीच अंतर को रेखांकित किया।
- 'कानून व्यवस्था' और 'लोक व्यवस्था' के बीच का अंतर इस बात पर निर्भर करता है कि किसी कृत्य का समाज पर कितना गहरा और दूरगामी प्रभाव पड़ता है।
- शीर्ष न्यायालय ने कहा कि केरल के उपर्युक्त मामले में केवल कानून व्यवस्था प्रभावित हुई थी, लोक व्यवस्था नहीं, इसलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन की कार्रवाई उचित नहीं थी।

प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में

- संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 22(3) के तहत, लोक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है।
- संवैधानिक सुरक्षा उपाय:
 - कानून के तहत किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय तक प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता है। हालांकि, सलाहकार बोर्ड की अनुमति से इस समय अवधि को बढ़ाया जा सकता है।
 - प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखे गए व्यक्ति को इसके कारणों की जानकारी यथाशीघ्र दी जानी चाहिए।
 - प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखे गए व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का जल्द से जल्द अवसर मिलना चाहिए।

प्रिवेंटिव डिटेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय

- रेखा बनाम तमिलनाडु राज्य वाद (2011): प्रिवेंटिव डिटेंशन अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार' का अपवाद है और इसका उपयोग केवल विशेष मामलों में ही होना चाहिए।
- विजय नारायण सिंह बनाम बिहार राज्य वाद (1984): सामान्य आपराधिक दंड प्रक्रियाओं से बचने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
- इच्छू देवी बनाम भारत संघ वाद (1980): प्रिवेंटिव डिटेंशन को न्यायसंगत ठहराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है।
- ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य वाद (1950): सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन अधिनियम, 1950 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।

भारत की पवन ऊर्जा क्षमता बढ़कर 51.5 गीगावाट (GW) हुई

केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने ग्लोबल विंड डे 2025 के अवसर पर बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता मई 2024 में 193.58 GW थी, जो बढ़कर मई 2025 में 226.74 GW हो गई।

- इस तरह नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में एक साल में 17.13% की वृद्धि हुई है। इसी अवधि में पवन ऊर्जा क्षमता में 10.5% और सौर ऊर्जा क्षमता में 31.49% की वृद्धि दर्ज की गई है।
- गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष 15 जून को 'विश्व पवन दिवस' यानी 'ग्लोबल विंड डे' मनाया जाता है।

भारत में पवन ऊर्जा की स्थिति

- विश्व में भारत की स्थिति: भारत स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया में चौथे स्थान पर है। साथ ही, भारत, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक देश भी है।
- ऊर्जा क्षमता में अधिक वृद्धि: भारत में पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता 2014 में 21.04 गीगावाट थी, जो मई 2025 में बढ़कर 51.5 गीगावाट हो गई।
- नवीकरणीय ऊर्जा में योगदान: भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सर्वाधिक हिस्सेदारी सौर ऊर्जा की है। इसके बाद पवन ऊर्जा का स्थान आता है।
- पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना वाले राज्य: गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आदि।

पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहलें

- केंद्रीयकृत डेटा संग्रह और समन्वय (CCDC) पवन पहल: इसका उद्देश्य पवन ऊर्जा संसाधनों के आकलन में सुधार करना और पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयुक्त स्थलों की पहचान करना है।
- राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति, 2018: यह नीति बड़े ग्रिड से जुड़े पवन-सौर ऊर्जा फोटोवोल्टिक हाइब्रिड सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। इससे संसाधनों का प्रभावी तरीके से और अधिकतम उपयोग करने में मदद मिलती है।
- ऑफशोर पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) योजना: यह योजना राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति, 2015 के अनुरूप है।
- अन्य पहलें:
 - ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस नियम (2022) जारी किया गया है।
 - नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व (RPO) मेकेनिज्म की शुरुआत की गई है, आदि।



भारत में पवन ऊर्जा से जुड़ी चुनौतियां

- अवसंरचना से जुड़ी चुनौतियां:
 - पवन ऊर्जा सहित अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन स्थिर नहीं रहता। इसके कारण ग्रिड से आपूर्ति प्रभावित होती रहती है।
 - पर्याप्त ट्रांसमिशन अवसंरचना उपलब्ध नहीं है।
 - पावर इवैक्यूएशन की समुचित व्यवस्था का अभाव है।
 - पावर इवैक्यूएशन का अर्थ है ऊर्जा उत्पादन केंद्र से उत्पन्न बिजली को विद्युत ग्रिड तक सुरक्षित और कुशल तरीके से पहुंचाना।
- आर्थिक चुनौतियां: लघु आकार की पवन ऊर्जा परियोजनाओं में भी अधिक निवेश की जरूरत पड़ती है। ऐसी परियोजनाओं में निवेश की लागत भी अधिक होती है और बिजली प्रशुल्क दरों में उतार-चढ़ाव के कारण वित्तीय नुकसान का खतरा भी बना रहता है।
- तकनीकी समस्याएं:
 - पवन ऊर्जा उत्पादन केंद्र की स्थापना और इनका संचालन जटिल कार्य है।
 - उपकरणों को दुर्गम क्षेत्रों तक ले जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
 - नियमित रखरखाव में भी चुनौतियां आती हैं।

पहली बार, स्टेप-एंड-शूट प्रोटॉन आर्क (SPARc) थेरेपी का उपयोग एडेनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा (ACC) के इलाज के लिए किया गया

एडेनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा (ACC) एक असामान्य प्रकार का कैंसर है, जो आमतौर पर लार ग्रंथियों या मस्तिष्क और गर्दन के अन्य भागों में विकसित होता है।

स्टेप-एंड-शूट प्रोटॉन आर्क (SPARc) के बारे में

- यह एक अत्याधुनिक रेडिएशन थेरेपी तकनीक है।
 - ⊕ रेडिएशन थेरेपी कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करके या उनके डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (DNA) को नुकसान पहुँचाकर उनकी वृद्धि को धीमा कर देती है।
- यह तकनीक प्रोटॉन्स की मदद से कैंसर कोशिकाओं को टारगेट करती है, जिससे आसपास के स्वस्थ ऊतक सुरक्षित रहते हैं।
 - ⊕ प्रोटॉन एक धनावेशित उपपरमाण्विक कण है।
- SPARc थेरेपी कैसे काम करती है?: यह थेरेपी एक कंप्यूटर प्रोग्राम पर आधारित होती है, जो यह स्कैन करता है कि प्रोटॉन बीम्स को शरीर के किन-किन हिस्सों और किस एनर्जी लेवल पर पहुँचाया जा सकता है।
 - ⊕ यहां, एनर्जी लेवल उस ऊतक-खंड को दर्शाता है, जिसे किसी विशेष ऊर्जा की प्रोटॉन बीम प्रदान की जाती है।
- SPARc के लाभ: यह तकनीक सिर, गर्दन, मस्तिष्क आदि के कैंसर के लिए रेडिएशन डोज प्लानिंग की गुणवत्ता में सुधार करती है।
 - ⊕ उदाहरण के लिए- SPARc तकनीक ने सिंगल फील्ड ऑप्टिमाइजेशन इंटेसिटी मॉड्यूलेटेड प्रोटॉन थेरेपी (SFO-IMPT) की तुलना में ब्रेनस्टेम को मिलने वाले रेडिएशन को 10% तथा स्पाइनल कैनाल को मिलने वाले रेडिएशन को 90% तक कम किया है।

कैंसर के इलाज की अन्य विधियां

- कीमोथेरेपी: इसे “कीमो” भी कहते हैं। यह कैंसर के इलाज का एक तरीका है जिसमें दवाओं का उपयोग कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए किया जाता है।
- इम्यूनोथेरेपी: यह कैंसर के उपचार की एक विधि है, जिसमें शरीर की स्वयं की प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर या उसे मजबूत बनाकर कैंसर से लड़ने में सहायता की जाती है। उदाहरण के लिए, CAR T-सेल थेरेपी में आनुवंशिक रूप से संशोधित T कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है।
- स्टेम सेल प्रत्यारोपण: यह उपचार विधि मुख्यतः उन मरीजों के लिए उपयोग की जाती है जिन्हें ल्यूकेमिया, लिम्फोमा जैसे रक्त कोशिकाओं से संबंधित कैंसर होते हैं।

अन्य सुर्खियां



भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG)

CAG ने राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) की ऑडिट के लिए अलग इकाई गठित की है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के बारे में:

- CAG संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- CAG को सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र या राज्य सरकार में किसी पद पर दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता।
- कर्तव्य और शक्तियां:
 - CAG के कर्तव्यों और शक्तियों का उल्लेख नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 में किया गया है।
 - कार्यकाल: 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक (जो पहले हो)।
 - पदमुक्ति: CAG को राष्ट्रपति द्वारा उन्हीं आधारों पर और उसी प्रक्रिया से पद से हटाया जा सकता है जिस आधार और प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
 - अन्य संबंधित तथ्य:
 - ⊕ CAG का कार्य तब शुरू होता है जब कोई धन व्यय किया जा चुका हो।
 - ⊕ परियोजनाओं और कार्यक्रमों पर CAG की रिपोर्ट्स लोक लेखा समिति द्वारा जांची जाती हैं।
 - ⊕ CAG की रिपोर्ट्स में दी गई जानकारी का उपयोग जांच एजेंसियां अदालत में आरोप तय करने के लिए कर सकती हैं।



विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC)

दक्षिण अफ्रीका ने लॉर्ड्स (इंग्लैंड) में आयोजित विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (2023-25) में मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर खिताब जीत लिया है।

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के बारे में

- शुरुआत और चक्र: WTC की शुरुआत अगस्त 2019 में हुई थी। इसका प्रत्येक चक्र दो साल की अवधि में खेले गए टेस्ट मैचों पर आधारित होता है।
- पात्रता: ICC टेस्ट टीम रैंकिंग में शीर्ष नौ रैंक वाली टीमों WTC के लिए क्वालीफाई करती हैं।
 - ⊕ प्रत्येक टीम कम-से-कम 2 टेस्ट और अधिकतम 5 टेस्ट की 6 श्रृंखलाएं खेलती है।
- श्रृंखला और अंक: प्रत्येक श्रृंखला के लिए कुल 120 अंक निर्धारित होते हैं, जो उस श्रृंखला में खेले गए मैचों की संख्या के अनुसार समान रूप से बाँट दिए जाते हैं।



नक्शा (NAKSHA) कार्यक्रम

“नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज-बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस” यानी नक्शा (NAKSHA) कार्यक्रम के प्रशिक्षण का दूसरा चरण चार राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों पर शुरू हुआ।

नक्शा (NAKSHA) कार्यक्रम के बारे में:

- परिचय: यह एक-वर्षीय पायलट कार्यक्रम है। इसे डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) के तहत शुरू किया गया है।
- क्रियान्वयन मंत्रालय: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय।
- उद्देश्य: 27 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित 157 शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के शहरी भूमि अभिलेख प्रबंधन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना।
- रणनीति: इस कार्यक्रम के तहत अत्याधुनिक हवाई और भू-स्तरीय सर्वेक्षण तकनीकों का उपयोग करके शहरी भू-खंडों का विस्तृत और GIS आधारित डिजिटल नक्शा तैयार किया जा रहा है।



राष्ट्रीय बेंचमार्क पर SDG-4 स्कोरकार्ड प्रगति रिपोर्ट

यूनेस्को की ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग टीम (GEM) ने राष्ट्रीय बेंचमार्क पर SDG-4 स्कोरकार्ड प्रगति रिपोर्ट जारी की है।

- यह रिपोर्ट इस तथ्य का आकलन करती है कि अलग-अलग शिक्षा संकेतकों पर कोई देश स्वयं द्वारा निर्धारित विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में कितनी प्रगति कर रहा है।
- सतत विकास लक्ष्य-4 (SDG 4): सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना तथा सभी के लिए आजीवन लर्निंग के अवसरों को बढ़ावा देना।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- दुनिया भर में स्कूल जाने वाली उम्र में भी स्कूल से वंचित बच्चों की संख्या अब लगभग 272 मिलियन आंकी गई है, जो पिछली गणना से 2.1 करोड़ अधिक है।
- 2019 और 2024 के बीच 6 से 17 वर्ष की आयु वर्ग की आबादी में स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों में सबसे अधिक निरपेक्ष वृद्धि वाले दो देश भारत (9 मिलियन) और पाकिस्तान (9.7 मिलियन) हैं।



नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA)

DGCA ने भारतीय विमानन बेड़े में वर्तमान में सेवारत 34 बोइंग 787 विमानों की विस्तार से जांच करने का आदेश दिया है।

DGCA के बारे में:

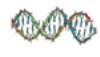
- यह संगठन भारत के भीतर तथा भारत से किसी अन्य देश में और किसी अन्य देश से भारत में संचालित वायु परिवहन सेवाओं के विनियमन तथा नागरिक विमानन नियमों, वायु सुरक्षा मानकों और विमानों की उपयुक्तता मानकों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है।
- मंत्रालय: DGCA नागरिक विमानन मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है।
- अन्य कार्य: यह विमानन सेवा से जुड़े सभी विनियामक कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन (ICAO) के साथ समन्वय करता है।
 - ⊕ ICAO संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। यह एजेंसी 93 देशों को सहयोग करने और उनके हवाई क्षेत्रों को आपस में साझा करने में मदद करती है।
- DGCA का मुख्यालय: नई दिल्ली।



तीसरा 'संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन' (UNOC-3)

तीसरा 'संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन (UNOC-3)' 'नीस ओशन एक्शन प्लान' अपनाने के साथ संपन्न हुआ।

- UNOC-3 का आयोजन फ्रांस के नीस शहर में किया गया।
- यह सम्मेलन फ्रांस और कोस्टा रिका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया।
- नीस ओशन एक्शन प्लान के मुख्य बिंदु
 - एक वैश्विक रोडमैप अपनाया गया जिसका उद्देश्य SDG-14 की प्राप्ति को समर्थन देना है।
 - ⊕ SDG 14 का उद्देश्य महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उनका संचारणीय उपयोग सुनिश्चित करना है।
 - ⊕ एक्शन प्लान में यह स्वीकार किया गया कि SDG-14 को सभी सतत विकास लक्ष्यों में सबसे कम वित्तीय सहायता मिल रही है।
 - प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौते तैयार करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
 - महासागरों और उन पर निर्भर तटीय समुदायों पर जलवायु परिवर्तन और महासागरीय अम्लीकरण के प्रभावों को कम करने के लिए वैश्विक समन्वित कार्रवाई अपनाने की मांग की गई।



DNA प्रोफाइलिंग

अहमदाबाद सिविल अस्पताल के अधिकारी DNA प्रोफाइलिंग के माध्यम से एयर इंडिया की उड़ान AI-171 दुर्घटना के पीड़ितों की पहचान कर रहे हैं।

DNA प्रोफाइलिंग (जिसे DNA फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं) के बारे में

- यह एक तकनीक है, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान उसके DNA में मौजूद विशेष पैटर्न को देखकर की जाती है।
- प्रमुख विधियाँ:
 - ⊕ शॉर्ट टैडेम रिपीट (STR): इसमें न्यूक्लियस में मौजूद लघु द्विगुणित DNA अनुक्रमों की जांच की जाती है।
 - ⊕ माइटोकॉण्ड्रियल DNA (mtDNA): इसका उपयोग तब किया जाता है जब न्यूक्लियस DNA क्षतिग्रस्त हो जाता है। शरीर में mtDNA प्रचुर मात्रा में होता है और आनुवंशिक रूप से संतान को मां से मिलता है। पीड़ितों की पहचान के लिए इसका मिलान माता के सगे-संबंधियों के साथ किया जाता है।
 - ⊕ Y क्रोमोसोम: यह Y क्रोमोसोम पर STRs पर केंद्रित होता है, जो आनुवंशिक रूप से पिता से पुत्र को मिलता है। किसी पुरुष की पहचान के लिए इसका मिलान पिता के सगे-संबंधियों के साथ किया जाता है।
 - ⊕ सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म (SNPs): जब DNA बहुत अधिक क्षतिग्रस्त हो जाता है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है।
 - ◆ SNPs DNA के सिंगल बेस में मौजूद अंतर होते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति में कुछ भिन्नता को दर्शाते हैं। इनका मिलान व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं जैसे टूथब्रश आदि से किया जाता है।



सिंहाचलम मंदिर

सिंहाचलम मंदिर के जीर्णोद्धार और संरक्षण के लिए पारंपरिक निर्माण विधियों का उपयोग किया जाएगा।

सिंहाचलम मंदिर के बारे में

- अवस्थिति: यह आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित एक हिंदू मंदिर है। इसे वराह लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।
- देवता: यह भगवान विष्णु के नरसिम्हा (मानव-सिंह) अवतार को समर्पित है।
- विशेषताएँ: इसमें मंदिर निर्माण की ओडिशा और चालुक्य शैलियों का संगम देखने को मिलता है।
 - ⊕ परंपरागत रूप से मंदिरों का मुख पूर्व की ओर होता है, लेकिन इस मंदिर का मुख पश्चिम की ओर है, जो बुराई पर दैवीय शक्तियों की जीत का प्रतीक है।
- इतिहास: मंदिर की निर्माण तिथि अज्ञात है। हालांकि, इसमें चोल शासक कुलोत्तुंग-I के शासनकाल (ईस्वी सन् 1098-99) का एक शिलालेख है।

सुर्खियों में रहे स्थल



साइप्रस (राजधानी: निकोसिया)

भारत के प्रधान मंत्री ने हाल ही में साइप्रस की यात्रा की।

भौगोलिक विशेषताएँ

- यह पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है।
- यह यूरोपीय संघ (EU) का सदस्य है।
- समुद्री पड़ोसी: इसके उत्तर में तुर्की, पूर्व में सीरिया, और दक्षिण-पूर्व में लेबनान है।

भौगोलिक विशेषताएँ

- यह सिसिली और सार्डिनिया के बाद भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है।
- प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ: काइरेनिया और ट्रोंडोस पर्वत।
- सबसे ऊँचा स्थान: माउंट ओलंपस।



अहमदाबाद



भोपाल



चंडीगढ़



दिल्ली



जयपुर



जोधपुर



गुवाहाटी



हैदराबाद



लखनऊ



प्रयागराज



पुणे



राँची



सीकर